



भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

मुख्यालय: जलमार्ग भवन, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201 301 (उ०प्र०)

INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Govt. of India)

Head Office : Jalmarg Bhawan, A-13, Sector-1, Noida-201 301 (U.P.)

Website: www.iwai.gov.in | www.iwai.nic.in

Tel. : +91-120-2544036, 2543972, 2527667, 2448101 Fax : +91-120-2544009, 2544041, 2543973, 2521764

भाजप्रा-12035/53/2024-प्रशा.भर्ती

दिनांक 06.05.2025

कार्यालय आदेश

विषय: मूल नियम (एफआर) 56(जे)/(1) और सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 (अब सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 42 के रूप में संशोधित) के तहत प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आवधिक समीक्षा के संबंध में।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र संख्या IWI-11-18011/12/2024-1WT-11 दिनांक 09 सितंबर, 2024 कार्यालय ज्ञापन संख्या CD-11053/102/2024-Coord.I दिनांक 27 अगस्त 2024 और डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 25013/03/2019-Estt.A.IV दिनांक 28 अगस्त 2020 (प्रतिलिपि संलग्न) और समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 03.02.2025 के आंशिक संशोधन के तहत भाजप्रा के कर्मचारियों की FR 56(J)(1) और CCS (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 [अब CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 42 के रूप में संशोधित] के तहत आवधिक समीक्षा के लिए निम्नलिखित समिति गठित की जाती है:

(क) ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए:

श्री विजय कुमार, अध्यक्ष, भाजप्रा

श्री सुनील कुमार सिंह, उपाध्यक्ष, भाजप्रा

श्री आशुतोष गौतम, सदस्य (तकनीकी), भाजप्रा

श्री विनय कुमार प्रजापति, सदस्य (यातायात एवं लॉजिस्टिक्स), भाजप्रा

(ख) ग्रुप 'बी' अधिकारियों के लिए:

श्री सुनील कुमार सिंह, उपाध्यक्ष, भाजप्रा

श्री आशुतोष गौतम, सदस्य (तकनीकी), भाजप्रा

श्री विनय कुमार प्रजापति, सदस्य (यातायात एवं लॉजिस्टिक्स), भाजप्रा

कर्नल हर्ष वर्धन, सचिव, भाजप्रा

(ग) समूह 'सी' कर्मचारियों के लिए:

कर्नल हर्ष वर्धन, सचिव, भाजप्रा

श्री आशीष यादव, मुख्य लेखा अधिकारी, भाजप्रा

श्री राकेश कुमार, निदेशक (जलीय), भाजप्रा

2. समिति दिनांक 28 अगस्त, 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 25013/03/2019-स्था.ए.IV में उल्लिखित निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार कर्मचारियों के प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा करेगी।

तिमाही, जिसमें समीक्षा की जाती है	तिमाही, जिसकी समीक्षा की जानी है
जनवरी से मार्च	जुलाई से सितंबर (उसी वर्ष)
अप्रैल से जून	अक्टूबर से दिसंबर (उसी वर्ष)
जुलाई से सितंबर	जनवरी से मार्च (उसी वर्ष)
अक्टूबर से दिसंबर	अप्रैल से जून (उसी वर्ष)

3. स्थापना पक्ष के संबंधित अनुभाग अधिकारियों को परामर्श दी जाती है कि वे उपर्युक्त अनुसूची के अनुसार भाउजप्रा के कर्मचारियों की आवधिक समीक्षा के लिए रागिति के अध्यक्ष से उपयुक्त तारीख और समय प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

नािरज सिंह
8.5.25
(नीरज सिंह)

सहायक सचिव (प्रशा. एवं स्था.)

ई-मेल: nsingh@iwai.gov.in

फ़ोन: 0120-2474050

उपरोक्त: संलग्नक

सेवा में,

उपर्युक्त अधिकारीगण।

प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)

- मुख्य अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक (जेएमवीपी) / मुख्य अभियंता (तकनीकी) / मुख्य अभियंता (एनईआर) / मुख्य अभियंता (यातायात एवं लॉजिस्टिक) / जलीय प्रमुख / मुख्य लेखा अधिकारी / निदेशक (जेएमवीपी) / उप सचिव (पीएंडसी) / निदेशक (आरई) / निदेशक (जलीय) / सहायक सचिव (पीएंडसी) / सहायक सचिव (विधि एवं हिंदी) भाउजप्रा, नोएडा।
- प्रभारी/अधिकारी, भाउजप्रा वाराणसी/ पटना/कोलकाता/गुवाहाटी/ कोची/ भुवनेश्वर।
- प्रभारी अधिकारी, उप कार्यालय, भाउजप्रा, साहिबगंज, फरक्का, प्रयागराज, वियजयावाड़ा।
- आईटी अनुभाग- भाउजप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

सूचनार्थ प्रतिलिपि : (ई-मेल द्वारा)

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य (यातायात और लॉजिस्टिक)/सदस्य (वित्त)/सदस्य (तकनीकी)/सचिव, भाउजप्रा, नोएडा के निजी सचिव/निजी सहायक।